रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243312
CG-DL-E-31012023-243312

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2023/माघ 11, 1944
No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2023/MAGHA 11, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2023

सं. 54 / 2015–2020

विषयः गेहूं के आटे (आटा) के निर्यात के लिए ई–136 पर मानक निविष्ट उत्पादन मानदंड (सिओन) की शर्तों में संशोधन और प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के तहत पैरा 4.05 (iii) में संशोधन।

फा. सं. 01 / 94 / 180 / 157 / एएम–22 / पीसी–4.–समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

1. सार्वजनिक सूचना सं. 38 / 2015–20 दिनांक 25.11.2022 में यथा उल्लिखित सिओन ई–136 की शर्त (i) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

i. अग्रिम प्राधिकार पत्र आटा मिलर्स और सहायक विनिर्माता के रूप में आटा मिलर्स के साथ अनुबंध रखने वाले निर्यातकों को जारी किया जाएगा।

2. पैरा 4.05 (iii) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के अंतर्गत "गेहूं का आटा (आटा)" निर्यात किए जाने के लिए अनुमत है बशर्ते कि गेहूं की आयात–पूर्व शर्तों को केवल सिओन के अध्यधीन अधिसूचित किया गया हो। गेहूं को किसी घरेलू/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने की अनुमति नहीं है और अमान्य पत्र/एआरओ की सुविधा नहीं है। इस मामले में तृतीय पक्ष निर्यात भी अनुमत नहीं होगा। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी। गेहूं के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से 180 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा आयातित गेहूं के अंतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य वर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के भुगतान के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर जुर्माना जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

सिओन–ई 136 की शर्तों और प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 4.05 (iii) को जॉब वर्क हेतु सहायक विनिर्माताओं को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st January, 2023

No. 54 /2015-2020

Subject:- Amendment in conditions of the Standard Input Output Norms (SION) at E-136 for export of wheat flour (Atta) and amendment in para 4.05 (iii) under Handbook of Procedures 2015-20- reg.

F. No. 01/94/180/157/AM22/PC-4.—In exercise of the powers conferred under paragraph 1.03 & 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments:

1. The condition (i) of SION E-136 as mentioned in Public Notice no. 38/2015-20 dated 25.11.2022 is to be read as under:

   i. The Advance Authorization(AA) shall be issued to flour millers and exporters having tie up with flour millers as supporting manufacturer.

2. The para 4.05 (iii) is to be read as under:

   "Wheat Flour (Atta)" is permitted to be exported under the Advance Authorization Scheme, subject to pre-import condition of wheat under the notified SION only. No domestic/ indigenous sourcing of wheat is permitted and the invalidation letter/ARO facility is not available. Third party exports are also not allowed in this case. Import and Export would be permitted only through EDI enable ports. The Export Obligation period (EOP) of Advance Authorization for wheat shall be 180 days from the date of clearance of each import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported wheat shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the payment of applicable duty and interest. Provisions of Paragraph 4.49 of Handbook of Procedures shall not be applicable in this case.

Effect of this Public Notice:

The conditions of SION E-136 and para 4.05(iii) of Handbook of Procedures, 2015-20 is amended to include supporting manufacturers for job work.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA